राजस्थान सरकार
निर्वाचन विभाग

क्रमांक : F- 3/III-A/Elec./S.R./99/1307 **जयपुर, दिनांकः 24.04.13**

प्रेषित : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : 1 समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी
(कलक्टर) राजस्थान
2 समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी
(ए.डी.एम. / एस.डी.एम.) राजस्थान

विषय : विभागीय वेबसाईट पर दावे एवं आपत्तियों तथा नेशनल इलेक्टोरल रोल्स सिस्टम मेनेजमेंट (National ERMS) कन्ट्रोल टेबल को अपलोड करने के संबधं में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभाग द्वारा निरन्तर अद्यतन के दौरान प्राप्त दावे एवं आपंत्तियों तथा नेशनल ई.आर.एम.एस. के अन्तर्गत मेपिंग को निर्वाचन विभाग राजस्थान की वेबसाईट **"ceorajasthan.nic.in"** पर अपलोड करने हेतु दो साफ्टवेयर तैयार किये गये हैं, दोनो साफ्टवेयर्स विभागीय वेबसाईट के **"DEO/EROs Section"** पर उपलब्ध है। आपके कार्यालय द्वारा इनमें निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैः–

I सॉफ्टवेयर–1 निरन्तर अद्यतन के दौरान प्राप्त दावे एवं आपत्तियों को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करनां।

यह सॉफ्टवेयर विभागीय वेबसाईट के **"DEO/EROs Section"** के **"Update Supplement-2"** में उपलब्ध है। इसमें निम्नानुसार कार्यवाही की जानी हैः–

1 समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इस मोड्यूल में डिफाल्ट पासवर्ड **12345 (DEFAULT PASSWORD 12345)** से लोगिन **(LOGIN)** कर उनके विधानसभा क्षेत्र में निरन्तर अद्यतन के दौरान प्राप्त दावे व आपंत्तियों को **(Upload)** अपलोड कराएँगे। आम नागरिक इन दावे एवं आपंत्तियों को विभागीय **(Website)** वेबसाईट के **"Citizen Center Section"** में **APPLICATION RECEIVED DURING THE CONTINUES UPDATION"** में देख सकते हैं।

2. इस साफ्टवेयर में प्रथम बार डिफाल्ट पासवर्ड (**DEFAULT PASSWORD**) से लोगिन (**LOGIN**) करने के पश्चात आपके स्तर पर पासवर्ड को परिवर्तित किये जाने का भी विकल्प है। प्रथम बार डिफाल्ट पासवर्ड (**DEFAULT PASSWORD**)से लोगिन करने के पश्चात आपके स्तर से पासवर्ड में परिवर्तन किया जाना उचित रहेगा।

3 इस साफ्टवेयर का यूजर मैन्युअल (**SOFTWARE'S USER MANUAL**) विभागीय वेबसाईट के **"CIRCULAR"** विकल्प में उपलब्ध है। इस मैन्युअल को विभागीय वेबसाईट से सीधे ही डाउनलोड कराकर आपके विधानसभा क्षेत्र के निरन्तर अद्यतन के दौरान प्राप्त दावे व आपत्तियों को तुरन्त प्रभाव से अपलोड करने की कार्यवाही करावें।

4 इस साफ्टवेयर में उपलब्ध सुविधा के द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी स्वंय के स्तर पर विधानसभा क्षेत्रवार कार्य की प्रगति की निगरानी आनलाईन करेंगे।

II सॉफ्टवेय–2 नेशनल इलेक्टोरल रोल्स मैनेजमेंट सिस्टम (National ERMS)

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में नेशनल ई. आर.एस.एस का स्टेण्डर्ड सॉफ्टवेयर शीघ्र ही लागू किया जायेगा।

इस सॉफ्टवेयर का प्रथम माड्यूल विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है। इस माड्यूल को विभागीय वेबसाईट के **DEOs/EROs Section** के अन्तर्गत **"ERO Login for Control Tables'** पर क्लिक करके खोला जाकर निम्नानुसार कार्यवाही करावें:–

1 यह सॉफ्टवेयर भी डिफाल्ट पासवर्ड 12345 से खोला जायेगा। इस मोड्यूल में प्रथम बार लोगिन करके समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी / निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी अपने स्तर पर पासवर्ड में परिवर्तन कर सकते हैं।

2 प्रथम चरण में विधानसभा के समस्त भागों / मतदान केन्द्रों के साथ विभिन्न राजस्व एवं अन्य इकाइयों की पूर्ण एवं सही मेपिंग करावें। राज्य की समस्त इकाइयों यथा गांव, पटवार सर्कल, आई.एल.आर. सर्कल, तहसील, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, नगर परिषद आदि का मास्टर डेटाबेस इस सॉफ्वेयर में उपलब्ध हैं विधानसभा क्षेत्र के भागों / मतदान कन्द्र के साथ उचित ईकाई को चिन्हित कर मेंपिंग करावें।

3 जिले के मास्टर डेटा बसे में नई इकाई (यथा गांव का नाम पटवार सर्कल, आई.एल.आर. सर्कल, तहसील, पोस्ट आफिस, पुलिस स्टेशन, नगर निगम/ परिषद आदि) जोडने का प्रावधान है, यदि ये मास्टर डेटा बेस में उपलब्ध नहीं है। परन्तु मास्टर डेटा बेस में नई इकाई जोडने से पूर्व यह सुनिश्चित करावें कि जोडी जाने वाली नई इकाई पूर्व में मास्टर डेटा बेस में उपलब्ध नहीं है ताकि दोहरी प्रविष्ठि से बचा जा सके।

4 इस सॉफ्टवेयर में मतदान केन्द्र के प्रकार यथा ग्रामीण/ शहरी में चिन्हित करने का प्रावधान भी है। समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी इन प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक प्रमाणित कराएँगे। यह भी ध्यान में लाया जाता है कि वर्तमान में कई प्रकरणों में ये सही चिन्हित नहीं है। विभाग भी मतदाता सूची 2013 के डेटा बेस के आधार पर सही सूचना देने की स्थिति में नही है। अतः अपने स्तर पर भागों की स्थिति ग्रामीण/ शहरी में शतप्रतिशत सहीं करावें।

इस साफ्टवेयर का हिन्दी एवं अंगेजी दोनों भाषाओं में मैन्यूअल विभागीय वेबसाईट के **"CIRCULAR"** विकल्प में उपलब्ध है। इसे सीधे ही विभागीय वेबसाईट से डाउनलोड कराकर तुरन्त प्रभाव से उपरोक्तानुसार कार्यवाही प्रारम्भ करावें।

उपरोक्त समस्त कार्यवाही 10 मई, 2013 तक पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करावें।

उक्त दिशा निर्देशों से आपके स्तर पर भी समस्त निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारियों को अवगत करावें।

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
राजस्थान, जयपुर।